

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला डीडवाना-कुचामन (राज.)**

पीठासीन अधिकारी :- सुनील कुमार । (RAS)

राजस्थ वाद संख्या :- 27 / 2024 GCMS 2024/55

वादी :-

1. श्रवणराम पुत्र गिरधारी राम जाति मेघवाल निवासी-ग्राम आसरवा तहसील मकराना जिला डीडवाना-कुचामन।

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. अमराराम पुत्र रामदीन
2. भागचन्द पुत्र रामदीन
3. चेनाराम पुत्र जेसाराम
4. मुन्नी पुत्री जेसाराम
5. मन्जू पुत्री जेसाराम
6. पवन पुत्र जेसाराम
7. लीला पुत्री जेसाराम
8. सुगना पुत्री जेसाराम
9. रामपाल पुत्र जेसाराम
10. बसंती पत्नी जेसाराम
11. बद्री पुत्र श्रवण
12. बाबुलाल पुत्र श्रवण
13. श्योराम पुत्र खींवारा
14. सुखदेव पुत्र खींवारा
15. चेलाराम पुत्र खींवारा
16. मन्जू पुत्री पुसाराम
17. शिवभगवानं पुत्र पुसाराम
18. राजुराम पुत्र पुसाराम
19. चम्पादेवी पुत्री पुसाराम समस्त जाति बावरी निवासीयान-ग्राम मण्डावरा तहसील कुचामन सिटी जिला डीडवाना-कुचामन राजस्थान।  
खातेदार चोथी पत्नी रामधीन जाति बावरी फौत हो चुकी है जिसके कायम मुकाम प्रतिवादी 1 व 2 है। खातेदार लाली पुत्री जेसाराम जाति बावरी अविवाहित फौत हो चुकी है जिसके नजदीकी वारीस प्रतिवादी संख्या 3 ता 10 है।
20. उप-पंजीयक कार्यालय कुचामन सिटी।
21. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामन सिटी(भूमिधारी) जिला डीडवाना-कुचामन राजस्थान।



**उपखण्ड अधिकारी**  
कुचामन सिटी ( डीडवाना-कुचामन )


- 2 - वाद सं :- 27/2024 श्रवणराम बनाम अमराराम वगैराह  
दावा :- इस्तकारर हक, भू-विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत अन्तर्गत धारा 88, 53,  
188 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :- श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता वादी की ओर से

--निर्णय :-

दिनांक :- 20/06/2025

वकील वादी ने बहस कर कथन किया कि वाद पत्र में प्राथमिक डिक्री की पालना रिपोर्ट तहसीलदार कुचामनसिटी ने पत्रांक/भूअ./2025/908 दिनांक 10.06.2025 द्वारा मौका रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) दिनांक 02.06.2025 को तैयार की गई। जो न्यायालय में प्राप्त होकर शामिल मिसल उपलब्ध है। वकील वादी ने बताया है कि माफिक बंटवारा स्कीम के अन्तिम डिक्री फरमावें। वकील वादी की बहस पर एवं वाद पत्र के संलग्न दिनांक 12.05.2025 को प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार कुचामन सिटी से बंटवारा स्कीम मंगवाई गई। नजरी नक्शा निम्न प्रकार से है :-



तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत बंटवारा स्कीम प्रस्तुत कर कथन किया है कि मौके पर उपस्थित पक्षकारान व पड़ोसियों ने उपरोक्त नजरी नक्शा अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण का कब्जा काशत होना बताया है, उपरोक्त नजरी नक्शा अनुसार ग्राम मण्डावरा पटवार मण्डल मण्डावरा सिटी तहसील कुचामन सिटी में निम्नवत टेबल में अंकित हक हिस्से अनुसार काबिज है :-



उपस्थित अधिकारी  
कुचामन सिटी (डी.टी.एन. कुचामन)

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टर में	किस्म
1.	अमराराम पुत्र रामदीन हिस्सा 1/10 चैनाराम पुत्र जैसाराम हिस्सा 1/90 चम्पादेवी पुत्री पुसाराम हिस्सा 11/288 चेलाराम पुत्र खीवाराम हिस्सा 7/72 चौथी पत्नी रामदीन हिस्सा 1/10 पवन पुत्र जैसाराम हिस्सा 1/90 बद्री पुत्र श्रवण हिस्सा 1/20 बसंती पत्नी जैसाराम हिस्सा 1/90 बाबुलाल पुत्र सरवण हिस्सा 1/20 भागचंद पुत्र रामदीन हिस्सा 1/10 मंजू पुत्री जैसाराम हिस्सा 1/90 मंजू पुत्री पुसाराम हिस्सा 11/288 मुन्नी पुत्री जैसाराम हिस्सा 1/90 रामलाल पुत्र जैसाराम हिस्सा 1/90 लाली पुत्री जैसाराम हिस्सा 1/90 लीला पुत्री जैसाराम हिस्सा 1/90 शयोराम पुत्र खीवाराम हिस्सा 7/12 सुखदेव पुत्र खीवाराम हिस्सा 589/5112 सुगना पुत्री जैसाराम हिस्सा 1/90	169 171 191	कुल रकबा 1.7065	बारानी 1
2.	श्रवणराम पुत्र गिरधारीराम मेघवाल सा. आसरवा तहसील मकराना हिस्सा 1/1	169	0.3235	बारानी 1

पक्षकारान मौके पर कब्जानुसार ही जोत विभाजन करवाना चाहता है। पक्षकार का कब्जा काश्त नजरी नक्शा एवं टेबल में अंकित हक हिस्से अनुसार दर्शाया गया है। वकील वादी की अन्तिम डिक्री हेतु बहस का मनन एवं संलग्न प्राथमिक डिक्री व तहसीलदार कुचामनसिटी से प्राप्त मौका रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) का अवलोकन करने से न्यायालय का मत है कि खातेदारान/पक्षकार का वाद काबिल अन्तिम रूप से डिक्री पाया जाने से निम्न प्रकार अन्तिम रूप से डिक्री जारी की जाती है।

**:- आदेश :-**

वाद पक्षकारान अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर ग्राम मण्डावरा पटवार मण्डल मण्डावरा तहसील कुचामनसिटी मे निम्नानुसार टेबल में अंकित हक हिस्से अनुसार पक्षकारान/खातेदारान को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है :-



*[Signature]*  
जिल्हाधिकारी  
कुचामन सिटी (डी.डी.वा.ना. कुचामन)

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टर में	किस्म
1.	अमराराम पुत्र रामदीन हिस्सा 1/10 चैनाराम पुत्र जैसाराम हिस्सा 1/90 चम्पादेवी पुत्री पुसाराम हिस्सा 11/288 चेलाराम पुत्र खीवाराम हिस्सा 7/72 चौथी पत्नी रामदीन हिस्सा 1/10 पवन पुत्र जैसाराम हिस्सा 1/90 बद्री पुत्र श्रवण हिस्सा 1/20 बसंती पत्नी जैसाराम हिस्सा 1/90 बाबुलाल पुत्र सरवण हिस्सा 1/20 भागचंद पुत्र रामदीन हिस्सा 1/10 मंजू पुत्री जैसाराम हिस्सा 1/90 मंजू पुत्री पुसाराम हिस्सा 11/288 मुन्नी पुत्री जैसाराम हिस्सा 1/90 रामलाल पुत्र जैसाराम हिस्सा 1/90 लाली पुत्री जैसाराम हिस्सा 1/90 लीला पुत्री जैसाराम हिस्सा 1/90 शयोराम पुत्र खीवाराम हिस्सा 7/12 सुखदेव पुत्र खीवाराम हिस्सा 589/5112 सुगना पुत्री जैसाराम हिस्सा 1/90	169 171 191	कुल रकबा 1.7065	बारानी 1
2.	श्रवणराम पुत्र गिरधारीराम मेघवाल सा. आसरवा तहसील मकराना हिस्सा 1/1	169	0.3235	बारानी 1

तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) दिनांक 02.06.2025 एवं नजरी नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। अन्तिम डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल हो। बंटवारा पर देय स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद एवं नक्शे में तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20/06/2025 को सरे इजलास सुनाया गया।



(सुनील कुमार-I RAS)  
उपखण्ड अधिकारी  
कुचामनसिटी (डंडवाना-कुचामन)

- 5 - वाद स :-27/2024 श्रवणराम बनाम अमराराम वगैराह  
डिक्री मुकदमा इन्तेहाई

(ओ.20 रूल 6-7 जाक्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला-डीडवाना-कुचामन (राज.)

बईजलास :- सुनील कुमार I (RAS)

राजस्व वाद संख्या :- 27/2024 GCMS 2024/55

वादी :-


1. श्रवणराम पुत्र गिरधारी राम जाति मेघवाल निवासी-ग्राम आसरवा तहसील मकराना जिला डीडवाना-कुचामन।

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. अमराराम पुत्र रामधीन
2. भागचन्द पुत्र रामधीन
3. चेनाराम पुत्र जेसाराम
4. मुन्नी पुत्री जेसाराम
5. मन्जू पुत्री जेसाराम
6. पवन पुत्र जेसाराम
7. लीला पुत्री जेसाराम
8. सुगना पुत्री जेसाराम
9. रामपाल पुत्र जेसाराम
10. बसंती पत्नी जेसाराम
11. बद्री पुत्र श्रवण
12. बाबुलाल पुत्र श्रवण
13. श्योराम पुत्र खीवाराम
14. सुखदेव पुत्र खीवाराम
15. चेलाराम पुत्र खीवाराम
16. मन्जू पुत्री पुसाराम
17. शिवभगवान पुत्र पुसाराम
18. राजुराम पुत्र पुसाराम
19. चम्पादेवी पुत्री पुसाराम समस्त जाति बावरी निवासीयान-ग्राम मण्डावरा तहसील कुचामन सिटी जिला डीडवाना-कुचामन राजस्थान।  
खातेदार चोथी पत्नी रामधीन जाति बावरी फौत हो चुकी है जिसके कायम मुकाम प्रतिवादी 1 व 2 है। खातेदार लाली पुत्री जेसाराम जाति बावरी अविवाहित फौत हो चुकी है जिसके नजदीकी वारीस प्रतिवादी संख्या 3 ता 10 है।
20. उप-पंजीयक कार्यालय कुचामन सिटी।
21. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामन सिटी(भूमिधारी) जिला डीडवाना-कुचामन राजस्थान।



  
उपखण्ड अधिकारी  
कुचामन सिटी ( डीडवाना-कुचामन )



- 6 - वाद स :-27/2024 श्रवणराम बनाम अमराराम वगौराह  
 दावा :- इस्तकारर हक, भू-विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत अन्तर्गत धारा 88, 53,  
 188 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू-बरू वकील श्री राजेश गुर्जर अधिवक्ता हाजिरी.....  
 मिनजानिब मुदई रू-बरू ..... मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि  
 वाद पक्षकारान अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर ग्राम मण्डावरा पटवार मण्डल मण्डावरा कुचामन सिटी  
 तहसील कुचामनसिटी में निम्नानुसार टेबल में अंकित हक हिस्से अनुसार पक्षकारान/खातेदारान को  
 खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टर में	किस्म
1.	अमराराम पुत्र रामदीन हिस्सा 1/10 चैनाराम पुत्र जैसाराम हिस्सा 1/90 चम्पादेवी पुत्री पुसाराम हिस्सा 11/288 चेलाराम पुत्र खीवाराम हिस्सा 7/72 चौथी पत्नी रामदीन हिस्सा 1/10 पवन पुत्र जैसाराम हिस्सा 1/90 बद्री पुत्र श्रवण हिस्सा 1/20 बसंती पत्नी जैसाराम हिस्सा 1/90 बाबुलाल पुत्र सरवण हिस्सा 1/20 भागचंद पुत्र रामदीन हिस्सा 1/10 मंजू पुत्री जैसाराम हिस्सा 1/90 मंजू पुत्री पुसाराम हिस्सा 11/288 मुन्नी पुत्री जैसाराम हिस्सा 1/90 रामलाल पुत्र जैसाराम हिस्सा 1/90 लाली पुत्री जैसाराम हिस्सा 1/90 लीला पुत्री जैसाराम हिस्सा 1/90 श्योराम पुत्र खीवाराम हिस्सा 7/12 सुखदेव पुत्र खीवाराम हिस्सा 589/5112 सुगना पुत्री जैसाराम हिस्सा 1/90	169 171 191	कुल रकबा 1.7065	बारानी 1
2.	श्रवणराम पुत्र गिरधारीराम मेघवाल सा. आसरवा तहसील मकराना हिस्सा 1/1	169	0.3235	बारानी 1



उपखण्ड अधिकारी  
 कुचामन सिटी (चौधवाणा-कुचामन)

- 7 - वाद स :-27/2024 श्रवणराम बनाम अमराराम वगैराह  
 निज ..... मुबलिग ..... बाबत.....खर्चा इस मुकदमे के मय सूद भारह.... फीसदी  
 सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ..... का अदा करें।  
 बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 20 माह 06 सन् 2025 को जारी  
 की गई।

(मुहर)

उपखण्ड अधिकारी  
 दरतखत  
 कुचामन सिटी ( डंडवानी-कुचामन )

मुदई	रुपयें	पैसे	मुदायलय	रुपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकिल		
महन्ताना वकिल			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट: इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।



(सुनील कुमार IAS)  
 उपखण्ड अधिकारी  
 कुचामन कुचामनसिटी